

**समाहरणालय, पटना।**  
(जिला भू-अर्जन शाखा)

फोन नं० 0612-2219233(क०)  
फैक्स नं० 0612-2219233  
E-mail-ladpatna@gmail.com

पत्रांक.....911.....भू-अर्जन,

प्रेषक,

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
एन०आई०सी०, पटना।

पटना, दिनांक-06/05/17

विषय:- परियोजना -बिहटा सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु अधिघोषणा प्रकाशन का समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि परियोजना बिहटा-सरमेरा राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के धारा 21 में यह स्पष्ट किया गया है कि भू-अर्जन हेतु अधिग्रहीत भूमि का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता के वेब-साइट पर डाला जाय।

अतः अनुरोध है कि मौजा-पैनापुर, थाना नं०-172 का अधिघोषणा प्रकाशन को समाहर्ता महोदय के वेब-साइट पर डालने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-अधिघोषणा प्रकाशन की छायाप्रति।

विश्वासभ्रजन

(5/17)

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
पटना।

# समाहरणालय, पटना ।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र-VI

समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन)

पत्रांक-.....

दिनांक.....

चूंकि समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना बिहटा सरगौर राज्य उच्च पथ सं०-78 निर्माण हेतु मौजा- पैनापुर, थाना सं०- 172, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में कुल 3.03 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधिन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 3.03 एकड़ है और जो मौजा- पैनापुर, थाना सं०-172, अंचल-नौबतपुर, थाना-विक्रम, जिला- पटना में है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्रम सं०	खाला सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन भूमि का क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (चौहद्दी)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	118	756	शैथिली	कृषि	0.38	1) सुरेन्द्र प्रसाद सिंह वो देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व० देवशरण सिंह 2) गो० मालती देवी पति स्व० जगन्नाथ प्रसाद, सभी सा०- हेमनचक	752 अंश	765 अंश	755 अंश	757 अंश, 758 अंश
2	194	941	शैथिली	कृषि	1.34	1) श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह पिता स्व० सरयु शरण सिंह 2) अगीत कुमार पिता स्व० जगन्नाथ सिंह, सभी सा०- हेमनचक	941 अंश	941 अंश	947 अंश, 948 अंश	938 अंश, 942 अंश
3	254	984	शैथिली	कृषि	0.035	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह वो देवेन्द्र प्रसाद सिंह पिता स्व० देवशरण सिंह, सा०- हेमनचक	984 अंश	987 अंश	982 पूर्ण	985 अंश
4	254	986	शैथिली	कृषि	1.10	1) धन्जय सिंह वो सुशील सिंह पिता राम रतन सिंह 2) महेन्द्र सिंह वो सत्येन्द्र सिंह पिता शिवनाथ सिंह 3) सुरेन्द्र सिंह वो देवेन्द्र सिंह पिता स्व० देवशरण सिंह, सभी सा०- हेमनचक	986 अंश	986 अंश	985 अंश, 987 अंश	957 अंश
5	254	1010	शैथिली	कृषि	0.005	धन्जय सिंह वो अरविन्द सिंह पिता स्व० राम रतन सिंह, सा०- हेमनचक	1010 अंश	1012 अंश	1010 अंश	988 अंश
6	294	1015	शैथिली	कृषि	0.17	1) अगीत कुमार पिता स्व० जगन्नाथ सिंह 2) देवशरण सिंह सभी सा०- हेमनचक	1008 अंश	1016 अंश	1007 अंश	1013 अंश, 1014 अंश

*he*

यह अधिधोषणा हितवद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है।

उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, रलेट या अन्य खनिज हैं, ऐसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

हं०/-

समाहर्ता,  
पटना।

ज्ञापक सं०- 800

दिनांक: 19/04/17

1. प्रतिलिपि:- तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जगसंपर्क विभाग, विहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदा०, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- प्रगारी उप समाहर्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5-5 प्रतियों जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

ke 13/4

समाहर्ता,  
पटना